कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक,

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय,

ग्राम कचान्दुर, जिला -दुर्ग (छत्तीसगढ़) -490024 ई-मेल: ccmgmchdurg@gmail.com

क्रमांक / स्था. / सीसीएमजीएमसीएच / 2023 / 2744 दुर्ग, दिनांक 12 /12 /2023

"रूचि की अभिव्यक्ति"

"Expression of Intrext"

विषयः– चिकित्सालय के विभिन्न / कार्यालयों में स्थापित कम्प्यूटर सिस्टर, प्रिंटर, यू.पी.एस., स्कैनर एवं फोटोकॉपी मशीनों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सी.एम.सी.) हेतु कोटेशन (दर) प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

===XX===

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय कचान्दुर दुर्ग (छ.ग.) के विभिन्न विभागों / कार्यालयों में कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, यू.पी.एस., स्कैनर एवं फोटोकॉपी मशीनों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध हेतु सिमित निविदा_ आमंत्रित किया जाता है, जिसके लिये निम्नलिखित प्रारूप में ही कोटेशन प्रस्तुत करे :–

क्रमांक	उपकरण का विवरण	अनुमानित मात्रा	वार्षिक रखरखाव दर प्रति नग (कर सहित)	कुल राशि (कर सहित)
01	Computer	26		
02	Printer	13		
03	U.P.S.	13		
04	Scanner	1		
05	Potocopy Printer	1		
06	Web Cam	1		
07	NETWORK SWITHCH WITH LOAD BALANCER	1		
08	NETWORK IP CAMERA SWITCH	10		
09	NMC BIOMETRIC MACHINE	1		
10	NORMAL BIOMETRIC MACHINE	2		

चिकित्सालय के मशीनों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सी.एम.सी.) हेतु नियम एवं शर्ते :–

1. प्रस्ताव के प्राप्त दर की वैधता एक वर्ष तक रहेगी जिस हेतु 100 रू. नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पेपर में अनुबंध किया जायेगा। अनुबंध दिनांक से प्रस्ताव एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. कोटेशन में दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख करे। दर अंको एवं शब्दो दोनो में अंकित की जानी चाहिए।
3. रखरखाव हेतु चिकित्सालय में भौतिक निरीक्षण स्वयं दर प्रस्तुत करें।
   "जहाँ है जैसा है" के शर्त पर कोटेशन आमंत्रित है।
4. वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सी.एम.सी.) का दर मशीनो की वर्तमान स्थिती को देखकर ही उल्लेखित करें।
5. किसी भी फर्म की कोई भी शर्ते मान्य नहीं होगी।
6. कम्प्यूटर सिस्टम एवं उपकरण का सर्विस कार्यालय में ही संपादित करनी होगी, अति–आवश्यक होने पर ही उपकरण कार्यालय से बाहर ले जाने की अनुमति होगी।
7. लिफाफे के उपर कोटेशन नं. एवं विषय का नाम लिखना चाहिए।
8. प्रस्तुत किये गये कोटेशन दर एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
9. जिन सिस्टम का मरम्मत कार्य किया जायेगा, उसके **बदले जाने वाले पार्टस को संबंधित विभाग / शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा।**
10. संबंधित फर्म का पंजीयन होना अनिवार्य है। बिल में जी.एस.टी. नंम्बर अति–आवश्यक है।

क्रमशः 02

11. संबंधित फर्म द्वारा वार्षिक रख–रखाव ठीक नहीं होने पर वार्षिक रख–रखाव अनुबंध कभी भी समाप्त किया जा सकता है एवं वार्षिक रख–रखाव के भुगतान की राशि की वसूली भी।
12. सिस्टम को उचित स्थान तक सही स्थिति में पहुचाने की जिम्मेदारी आपकी होगी।
13. आपातकालीन स्थिति (दूरभाष) पर बुलाये जाने पर तत्काल सर्विस देना अनिवार्य होगा।
14. रखरखाव का कार्य संतोष प्रद होने पर समान शर्ते एवं दरो पर वैधता बढाई जा सकती है।
15. किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय, कचांदूर, दुर्ग को होगा, जिसका कारण बताने के लिये कार्यालय बाध्य नहीं होगा।
16. उक्त कार्य हेतु निर्माता/अधिकृत पंजीकृत अनुभवी फर्म अथवा सर्विस प्रोवाईडर उक्त प्रस्ताव में शामिल हो सकते है।
17. सेवा प्रदाय किये जाने के उपरांत सर्विस रिर्पोट प्रदाय करनी होगी जो विभागों/कार्यालय के विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करें।
18. **विभाग की मशीनों** का वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सी.एम.सी.) प्रदाय की गई सर्विस दर शामिल होगी। वार्षिक रखरखाव का भुगतान 06–06 माह की अवधि में किया जायेगा, प्रथम भुगतान वार्षिक रखरखाव के 06 माह पूर्ण करने के पश्चात् एवं अंतिम भुगतान 01 वर्ष सफलतापूर्वक सेवा प्रदाय किये जाने के पश्चात् किया जायेगा। यदि वार्षिक रखरखाव संतोषप्रद नहीं किये जाने की स्थिती में आदेश निरस्त कर एफ.डी.आर. की राशि राजसात किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
19. समस्त क्रय/रखरखाव कार्य की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 अथवा प्रचलित शासन के भंडार क्रय नियम/शासकीय नियम के अनुसार शासित होंगे।
20. वार्षिक रखरखाव की आदेश में वर्णित मशीनों की संख्या कमी या वृद्धि की जा सकती है। दर्शित संख्या अनुमानित है। शर्ते के पालन नहीं किये जाने की स्थिति में या किसी भी विवाद की स्थिती में आदेश निरस्त किया जा सकता है एवं नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती। है।
21. राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा किसी भी फर्म को काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाली जाने वाली फर्म मान्य नही होगी। उक्त संबंध में उन्हे शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त कार्य अत्याधिक मानक और बेहतर गुणवत्ता का होना चाहिए।
22. आपके द्वारा प्रदाय की गई समस्त जानकारी सत्य है एवं मुझे आपके सभी नियम एवं शर्ते मान्य है के संबंध में आपके एक नॉन जूडिशल स्टॉम्प पेपर में शपथ पत्र प्रस्तत करना होगा।

अतः उपरोक्तानुसार व्यापक रख–रखाव हेतु कोटेशन दर मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर शाम 5:00 बजे तक जमा करने की व्यवस्था करें। विलंब से प्राप्त कोटेशन मान्य नहीं की जावेगी।

12.12.23

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, दुर्ग

पृ.क्रमांक/स्था./सीसीएमजीएमसीएच/2023/ दुर्ग, दिनांक / /2023

प्रतिलिपि :–

1. अधिष्ठाता, चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

//

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, दुर्ग